न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 190 / 2024 दायर दिनांक–28.11.2024

1. मधुसुदन शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी झाझड तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. दौलत राम शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. सुनिल कुमार शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ हाल आबाद 120 / 61 लाजपत नगर हंस नगर कानपूर उत्तर प्रदेश।
3. सोहनलाल पुत्र मोहनलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी झाझड तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल बिश्रा डहर रोड़ सरस्वती विधा मंदिर राउरकेला सुन्दरगढ़ उड़ीसा।
4. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर

वकील प्रतिवादी :– श्री जयपाल सिंह शेखावत

दावा बाबत घोषणा

व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–26.05.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 273 पुराना 297 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 996 रकबा 0.2600 है0 व इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 597 पुराना 623 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 935 रकबा 0.0600 है0 भूमि स्थित है।

उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि जो प्रतिवादीगण के पिता मोहनलाल पिता महादेव के 1/2 हिससे में राजसव रिकॉर्ड में दर्ज थी या दर्ज है प्रतिवादीगण के पिता मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 20.03.1971 को हो चुकी है व प्रतिवादीगण की माता बाई देवी की भी मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादीगण ही एकमात्र मोहनलाल के वारिस है। प्रतिवादीगण ने अलग अलग दिनांक को 16.06.2023 व दिनांक 03.07.2024 को जरिये इकरारनामा द्वारा अपने 1/2 हिस्से को वादीगण को विक्रय कर दिया। वादी का ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि से कोई सरोकार नही है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के पिता मोहनलाल हिस्सा 1/2 का नाम हजफ करके वादी का नाम दर्ज किये जाने हेतु वाद पेश किया है।

अत: वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण के पिता मोहनलाल हिस्सा 1/2 का नाम हजफ किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री जयपाल सिंह शेखावत उपस्थित न्यायालय होकर इकबालिया जबाब दावा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 04 [illegible] तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 3 द्वारा इकबालिया जबाब पेश होने पर प्रकरण [illegible] कायम नही की गई। **वादी** की ओर से शहादत वादी नही पेश करना [illegible] नही पेश कर वाद अनुसार निर्णय जारी करने हेतु सहमति दी ग[illegible] ने अपने वाद–पत्र [illegible] समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 –78, प्रदर्श 2 [illegible] इकरारनामा दिनांक [illegible] 2023 आदि दस्तावेज पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:50:08 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने [illegible] बहस मे वाद–पत्र में दर्ज त[illegible] दोहराया। वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बहस को मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–1 ग्राम झाझड पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 273 पुराना 297 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 996 रकबा 0.2600 है0 व इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 597 पुराना 623 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 935 रकबा 0.0600 है0 भूमि स्थित

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

[illegible] प्रमाणित है। प्रदर्श–02 व 03 इकरारनामा बाबत भूमि बेचान में स्पष्ट अंकित है कि दौलतराम शर्मा, सुनिल कुमार शर्मा, सोहनलाल शर्मा पुत्रगण श्री मोहनलाल शर्मा हम हमारी जमीन ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 273 पुराना 297 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 996 रकबा 0.2600 है0 व इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 597 पुराना 623 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 935 रकबा 0.0600 है0 भूमि में अपने पिता मोहनलाल के हिस्से 1/2 के एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी है, उक्त मोहनलाल के सम्पूर्ण हिस्से 1/2 का बेचान मधुसुदन शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू को कुल रूपया 4,66,000/– रूपये में बेची है तथा स्टाम्प पर नौटेरी तस्दीक करवाकर विक्रय करवा दी है। इस जमीन में हमारा कोई हक नही है। उक्त ईकरारनामा में गवाह के रूप में क्रेता मधुसुदन शर्मा विक्रेता दौलतराम शर्मा, सुनिल कुमार शर्मा तथा सोहनलाल शर्मा व उपस्थित गवाहान् सुरज शर्मा तथा जितीन बासोतिया के हस्ताक्षर है। जिससे भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा से क्रय किया जाना प्रमाणित है तथा कब्जा काश्त भी भूमि क्रय करने के बाद से वर्तमान तक वादी का होना प्रमाणित है जिसके संबंध में पत्रावली पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 का इकबालिया जबाब पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर लिया है एवं दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादी द्वारा अपना वाद प्रतिवादीगण के इकबालिया जबाब, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। उभय पक्ष की सहमति को देखते हुए न्यायालय राय में उक्त प्रकरण कर अपवंचन का प्रतीत होता है अतः वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी. एल.सी. दर से देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 273 पुराना 297 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 996 रकबा 0.2600 है0 व इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 597 पुराना 623 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 935 रकबा 0.0600 है0 भूमि का वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मोहनलाल पुत्र महादेव का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी॰एल॰सी॰ दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:50:08 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशिल कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:–190/2024 **(मधुसुदन शर्मा बनाम दौलतराम शर्मा आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशिल कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 26.05.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम झाझड पटवार हल्का झाझड की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 273 पुराना 297 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 996 रकबा 0.2600 है0 व इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 597 पुराना 623 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 935 रकबा 0.0600 है0 भूमि का वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मोहनलाल पुत्र महादेव का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.05.2025 को जारी की गई।

सुशिल कुमार सैनी(आरएएस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:50:08 IST
Reason: SelfAttested